

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 500/2025

श्री संजीव कुमार, निवासी वी०पी०ओ० बिशनपुरा वाया बडागांव, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333021 मो०नं० 8668684419

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 10.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 500/2025 पर दिनांक 21.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5152-5153 दिनांक 21.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/1508 दिनांक 08.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री संजीव कुमार, निवासी वी०पी०ओ० बिशनपुरा वाया बडागांव, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिशनपुरा में श्री सांवताराम महाराज आश्रम, बाबा सांवताराम धाम को पब्लिक ट्रस्ट देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन का आदेश या नोटिफिकेशन पारित करने हेतु आवेदन किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में उपस्थित रिकार्ड की सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। कार्यवाही करने का कोई प्रावधान आरटीआई के क्षेत्र से बाहर का है। चाही गई सूचना में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/369 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/1508 दिनांक 08.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री संजीव कुमार, निवासी वी०पी०ओ० बिशनपुरा वाया बडागांव, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिशनपुरा में श्री सांवताराम महाराज आश्रम, बाबा सांवताराम धाम को पब्लिक ट्रस्ट देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन का आदेश या नोटिफिकेशन पारित करने हेतु आवेदन किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में उपस्थित रिकार्ड की सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। कार्यवाही करने का कोई प्रावधान आरटीआई के क्षेत्र से बाहर का है। चाही गई सूचना में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/369 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर का है जिसके संबंध में प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं